जयपुर डेयरी

जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि.

JAIPUR ZILA DUGDH UTPADAK SAHAKARI SANGH LTD.

(AN ISO : 22000 : 2018 CERTIFIED ORGANISATION)

Milk/दूध

क्रमांकः जजिदुउसस/सीएसएसएमपी/2025/ 28264-70 दिनांक 18/12/2025

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि EXOTIC NUCLEUS फार्म बस्सी पर संघारित 02 ब्याई गाय एवं उनके बछडों की नीलामी हेतु खुली बोली आमंत्रित है। इच्छुक बोलीदाताओं से खुली बोली के माध्यम से दिनांक 27.12.2025 को प्रातः 11 बजे की जावेगी।

नीलामी की विस्तुत जानकारी एवं शर्तो के लिए हमारी बेबसाईट www.Jaipurdairy.com पर या कार्यालय समय में कार्यालय में सम्पर्क करें।

प्रबंध संचालक

प्रतिलिपिः–

1. नोटिस बोर्ड ई.एन.एफ. बस्सी
2. नोटिस बोर्ड एफ.एस.बी बस्सी
3. नोटिस बोर्ड, तहसील बस्सी
4. नोटिस बोर्ड, मुंसिफ कोर्ट, बस्सी
5. नोटिस बोर्ड, पंचायत समिति, बस्सी
6. नोटिस बोर्ड, जयपुर विधुत वितरण निगम कार्यालय, बस्सी
7. नोटिस बोर्ड, जयपुर डेयरी मुख्यालय, जयपुर
8. कार्यालय प्रति/रक्षित पत्रावली

प्रभारी (सीएसएसएमपी)

गांधी नगर रेल्वे स्टेशन के पास जयपुर–302 015
Near Gandhi Nagar Railway Station, JAIPUR-302 015
प्रबन्ध संचालक/M.D. : 0141-2711581 (पी.ए.बी.एक्स / PABX) 0141-2713666-69 (6 लाईन्स / 6 Lines)
ए.पी.एस./A.P.S. : 2709822 विपणन / Sales : 0141-2713670
Website : www.jaipurdairy.com, ई–मेल : jaipurdairy@jaipurdairy.com

जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि., जयपुर

पशुधन की नीलामी हेतु नियम एवं शर्ते निम्न है :-

1. नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति/फर्म को नीलामी से पूर्व प्रति गौवंश (गाय+उसका बछडा) 2000/- रुपये का नगद /बैक ड्राफ्ट जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, जयपुर (JZDUSS Ltd.) के नाम बनाकर जमा करवाना होगा।
2. कमेटी द्वारा निर्धारित सरकारी आरक्षित बोली से नीलामी शुरु की जावेगी।
3. सफल बोलीदाता को तत्काल पशु मूल्य की 25 प्रतिशत राशि मय प्रतिभूति राशि का समायोजन करते हुए जमा करवानी होगी। शेष 75 प्रतिशत राशि अधिकतम 3 दिवस में पशुधनी की सुपुर्दगी लने से पूर्व जमा करवानी होगी।
4. सफल बोलीदाता द्वारा संपूर्ण अधिकतम बोली राशि निर्धारित समय सीमा में जमा नही कराने पर जमा करवाई गई 25 प्रतिशत राशि (मय प्रतिभूति राशि) जब्त कर ली जावेगी।
5. बोली छोडे जाने पर पशु की जिम्मेदारी (चराना, देखभाल, निगरानी) केता की होगी। केता को इसके लिए अपने स्वयं के आदमी छोडने होगें।
6. बोली छोडे जाने के पश्चात किसी भी पशु की हानि/मृत्यु की जिम्मेदारी क्रेता की होगी। इसके लिए विभाग जिम्मेदार नही होगा।
7. सफल बोलीदाता द्वारा पशुधन को किसी भी परिस्थिति में बूचडखाने मे ना भेजने के लिए 100/-रु. के नॉन ज्यूडिशीयल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र देना होगा।
8. अधिकतम/उच्चतम कीमत लगाने वाले के नाम नीलामी स्वीकृत की जावेगी। पशु की अधिकृत आधार राशि के बराबर या उससे अधिक होने पर ही बोली स्वीकृत की जावेगी।
9. अधिकतम बोलीदाता किसी कारणवश बोली के पश्चात निश्चित समयावधि में पशुधन को उठाने में असफल रहता है तो द्वितीय बोलीदाता से सम्पर्क कर अधिकतम बोलीदाता की दरों पर पशुधन की संपूर्ण राशि जमा करवाने पर द्वितीय बोलीदाता को पशु ले जाने की स्वीकृति प्रदान की जा सकती है।
10. नीलामी राशि पर राज्य सरकार द्वारा वसूलनीय कर जैसे ब्रिकी कर, जी.एस.टी. इत्यादि यदि देय होगा तो वो केता को देना होगा।
11. पशु का उचित मूल्य प्राप्त नही होने पर नीलामी के निरस्त करने, आंशिक एवं पूर्ण रुप से स्थगित करने का संपूर्ण अधिकार कमेटी को होगा।
12. पशुओं का अवलोकन दि. 18.12.2025 से 26.12.2025 तक कार्यालय समय पर कर सकतें है।

13. नीलामी दिनांक 27.12.2025 को प्रातः 11.00 से ई.एन.एफ, बस्सी में की जावेगी। नीलामी हेतु धरोहर राशि जमा कराने वाले बोलीदाता ही बोली में भाग ले सकेगे। बोलीदाता को अपना व्यक्तिगत पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड आदि की फोटो प्रति साथ में लानी होगी।
14. नियम एवं शर्तो का अवलोकन कार्यालय समय में किया जा सकता है। साथ ही जयपुर डेयरी की बेबसाईट पर भी देखी जा सकती है।
15. समस्त वाद्द विवादों के लिये न्याय क्षेत्र बस्सी, जिला जयपुर होगा।

प्रभारी (सीएसएसएमपी)

मैं उपरोक्त शर्ते माने को सहमत हूँ।

हस्ताक्षर

नाम :–

पता :–

मो0 नं. :–